

राजस्थान-सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान-जयपुर।  
क्रमांक: प.2(6954)/निचिस्वा/विधि/2018/311

दिनांक:- 06.07.2018

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक प.2(6954)/निचिस्वा/विधि/2018/164 दिनांक 15.05.2018 के द्वारा एस0बी0सि0रि0पि0 संख्या 9288/2018 राहुल यादव व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में श्री संजय शर्मा, गवर्नमेंट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को राजकीय अधिवक्ता नियुक्त किया गया था परन्तु प्रकरण की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुये विभाग की ओर से श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पैरवी की जा रही है।

अतः श्री संजय शर्मा, गवर्नमेंट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के स्थान पर श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को उक्त प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: प.2(6954)/निचिस्वा/विधि/2018/311

दिनांक:- 06.07.2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-3), राजस्थान सरकार को प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर को पैरवी हेतु की गई नियुक्ति का पश्चातवर्ती अनुमोदन कराने का श्रम करें।
- 2 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर
- 3 संयुक्त निदेशक (प्रशासन) मुख्यालय एवं प्रभारी अधिकारी केस।
- 4 संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर
- 5 श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 6 श्री संजय शर्मा, गवर्नमेंट कौंसल (चिकित्सा विभाग), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
- 7 प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को वास्ते विभाग की साईड पर अपलोड करने एवं संबंधित अधिकारियों को ई-मेल करने बाबत।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर